न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 127/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. संगीतादेवी पत्नि स्व. हनुमानसिंह		1. चुन्नीलालसिंह पुत्र कालुसिंह जाति–पुरोहित, निवासी–तालकिया तहसील–जैतारण, जिला–पाली
2. विरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. हनुमानसिंह		
3. राजवीरसिंह पुत्र स्व. हनुमानसिंह		
4. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र स्व. हनुमानसिंह वादी संख्या 03 व 04 ना.बा. की वलिया माता संगीतादेवी जाति–पुरोहित, निवासी–तालकिया तहसील–जैतारण, जिला–पाली		

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.17/06/2014

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 03/10/2017

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी संख्या 03 व 04 नाबालिग हैं, जिनका हित उनकी माता वादी संख्या 01 संगीतादेवी में निहित हैं। इसलिए वादी संख्या 03 व 04 की दुरूस्ती वलिया माता संगीतादेवी को बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं तथा नाबालिग वादी संख्या 03 व 04 के द्वारा वलिया माता बनाकर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र आदेश 32 नियम 01 सीपीसी का वाद–पत्र के साथ संलग्न हैं। सरहद मौजा–तालकिया, पटवार हल्का–पिपलियाखुर्द, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादीगण एवं अन्य खातेदारान् की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 247 रकबा 18–08 बीघा किस्म चाही प्रथम खसरा नम्बर 248 रकबा 0–05 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 06 रकबा 51–19 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता–3 कुल रकबा 70–12 बीघा की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादीगण 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। इसी हिस्सेनुसार मौके पर बंटवाड़ा होकर वादीगण काश्त करते आ रहे हैं। खसरा नम्बर 06 रकबा 51–19 बीघा के वादीगण 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं तथा 1/4 हिस्से के पड़ौस उत्तर में नारायणसिंह व दलपतसिंह का 1/4 हिस्से की जमीन जो खसरा नम्बर 06 की हैं। दक्षिण में नृसिंह पुत्र अचलसिंह की खसरा नम्बर 06 की 1/4 हिस्से की खातेदरी की भूमि, पूरब में नारायणसिंह पुत्र गुणेशसिंह की कृषि भूमि एवं पश्चिम में बिहारीलाल, मोतीसिंह की कृषि भूमि हैं। उक्त कृषि भूमि के 1/4 हिस्से में वादीया के पति हनुमानसिंह के दादा की वक्त सैटलमेन्ट संवत् 2011 से 2030 में नाम दर्ज हैं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तथा उनके मरने के बाद उनके वारिसान का नाम दर्ज हैं तथा हनुमानसिंह पुत्र चन्दनसिंह का स्वर्गवास होने पर जरिये म्यूटेशन संख्या 746 दिनांक 20/11/2009 को वादीगण का नाम रेवेन्यू एजेन्सी द्वारा जांच कर दर्ज किया गया, जो सही हैं। खसरा नम्बर 06 रकबा 51–19 बीघा के 1/4 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी का कोई हक, अधिकार नहीं था न ही हैं। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि होने से वादीया के पति हनुमानसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि में वर्ष 1993 में मारवाड़ ग्रामीण बैंक बलून्दा के यहां रहन रखकर ऋण लिया, जिससे भी स्पष्ट साबित हैं कि उक्त कृषि भूमि के 1/4 हिस्से की वादीगण खातेदार कश्तकार हैं। वादीया संख्या 01 अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 06 रकबा 51–19 बीघा के 1/4 हिस्से की जो उक्त वर्णित पड़ौसियों के बीच की भूमि पर दिनांक 02/06/2014 को खडाई करने ट्रेक्टर लेकर गयी, तो वहां पर प्रतिवादी वादीया के खेत पर आया व वादीया की बुवाई करने से मना किया व बाधा तथा दखलन्दाजी की, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं हैं। वादीया जो कि एक विधवा व अकेली औरत हैं तथा उसके बच्चे नाबालिग हैं, जिनकी कृषि भूमि को हड़पने की नियत से प्रतिवादी व उसके सहयोगी खेत पर आये व खडाई करने से मना किया व खडाई करने में रोकटोक की जबकि वादीया के पति की जीवनकाल में ऐसी कभी नौबत नहीं आयी उनकी मृत्यु होने के उपरान्त प्रतिवादी वादीया की कृषि भूमि को जबरन धनबल व लाठी के बल पर बिना किसी विधिक अधिकार के हड़पने की नियत से आये दिन वादीया के खेत पर आकर दखल व दस्तन्दाजी करते हैं। इसलिए प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्य को रोके जाने हेतु वादीगण द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी के स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हैं। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 06 रकबा 51–19 बीघा के 1/4 हिस्से की कृषि भूमि में प्रतिवादी बिना किसी हक अधिकार के दखल व दस्तन्दाजी करते हैं, तो वादीगण अपने हक व अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा। असीम हानि होगी। जिनका मूल्यांकन किसी सूरत में संभव नहीं हैं। बिनायवाद दिनांक 02/06/2014 को वादीया अपने खातेदारी के खेत पर खडाई करने गयी तो प्रतिवादी व उनके सहयोगी मौके पर आये व खडाई करने से मना किय एवं बाधा एवं दखलन्दाजी की तब बमुकाम–तालकिया, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 05/12/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादीगण ने वादीया का वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया, बाद प्रदर्श लगाये जाकर सा0मि0 किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र, दस्तावेजात, साक्ष्य का शपथ–पत्र पर गहनता से अध्ययन किया गया। वादीगण राजस्व अभिलेख में अपने 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–तालकिया, पटवार हल्का–पिपलियाखुर्द, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादीगण एवं अन्य खातेदारान् की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 06 रकबा 51–19 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण के 1/4वें हिस्से में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/10/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)